

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-46/2023

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री जयदेव सिंह, ग्राम सुक्की, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक-22/07/2023

निर्णय का दिनांक- 18/09/2023

:: निर्णय ::

परिवादी श्री जयदेव सिंह, ग्राम सुक्की, भटवाड़ी, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 22/07/2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-यूके21106016218, भार एक किलोवाट और श्रेणी-एसटीएन-10/अदर डोमेस्टिक से संबंधित है और श्री कृति सिंह के नाम से संचालित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी का कहना है कि वह दिनांक-19/03/2021 में अपने संयोजन पर बकाया बिल का भुगतान कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसे अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त हो रहा है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि उसे संशोधित बिल उपलब्ध कराया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा विपक्षी विभाग को पत्रांक 115/2023/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक- 22/07/2023 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक-31/07/2023 तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-537/वि0वि0उ0ख0उ/दिनांक-28/07/2023 के मार्फत आख्या मंच के सम्मुख पेश की गई। इसमें विपक्षी विभाग ने अवगत कराया है कि उपरोक्त संयोजन की निर्गत तिथि 01/04/2007 है, जिसमें कि उपभोक्ता द्वारा मार्च 2021 तक संपूर्ण बीजक जमा किए गए हैं और माह 04/2021 ये 10/2021 तक संपूर्ण बिल रीडिंग 12800 यूनिट पर निर्गत किए गए हैं। माह 10/2021 में अवशेष बीजक रुपये 29215.00 (उनतीस हजार दो सौ पंद्रह) बकाया होने के कारण अस्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन कर दिया गया था, जिसमें अभी तक बकाया धनराशि रुपये 87642.00 (सत्तासी हजार छह सौ बयालिस) है।

विपिन बनियाल

18/09/23
उपभोक्ता सदस्य

18/09/23

तकनीकी सदस्य

Kirti Prasad
18/09/2023

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी
Page 2 of 1
46/2023

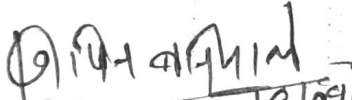
इस परिवाद की सुनवाई दिनांक-31/07/2023, 14/08/2023, 28/08/2023 और दिनांक-18/09/2023 को की गई। परिवादी ने अपने परिवाद की खुद ही पैरवी की, जबकि विपक्षी विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी आयुष रावत और एसडीसी विनोद चौहान ने तर्क पेश किए। दिनांक-14/08/2023 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि वह उपभोक्ता की अंतिम रीडिंग पर एनआर बिलों को समायोजित करते हुए संशोधित बिल प्रस्तुत करे और नियमानुसार स्थायी विच्छेदन की कार्रवाई करे। दिनांक-28/08/2023 की सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा संशोधित बिल पेश न किए जाने की स्थिति में मंच द्वारा इसके लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया।

दिनांक-18/09/2023 की सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा मंच के सम्मुख परिवादी का माह 08/2023 तक का संशोधित बिल प्रस्तुत किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी का माह 08/2023 तक का रूपये 90,254.00 (नब्बे हजार दो सौ चौब्वन) का बिल संशोधित करके रूपये 48,078.00 (अड़तालिस हजार अठहत्तर) का बना दिया गया है।

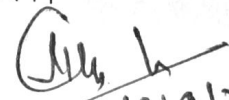
उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग की ओर से परिवादी का बिल संशोधित कर रूपये 48,078.00 (अड़तालिस हजार अठहत्तर) का बनाया गया है, जो कि सही है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को यह संशोधित बिल उपलब्ध कराना और संयोजन के स्थायी विच्छेदन के लिए नियमानुसार कार्रवाई करना न्यायसंगत होगा।

:: आदेश ::

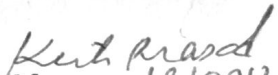
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(अनुकेतु जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी